

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्थ पत्र व्यवहार कुलसाहित जीवाली विश्वविद्यालय के बाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के बाम से। उत्तराधिकारी विवाह पर यदि पूर्ण में पत्र व्यवहार हुआ थे तो पत्र क्रांति एवं दिनांक अधिक लिखा जावे जिससे सुनिधा हो।



ग्राम : चूनीवर्हाटी
 दूरध्वाष : (0751) 2341896
 (0751) 2442829
 पैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
गवालियर
क्रमांक:एफ/सम्बळता/2009/ 5200

दिनांक: 17/08/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, गवालियर से सन्बद्ध रोशनाली देवपुरिया महाविद्यालय, सुरपुण, मिण को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशासनों प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय या स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, गवालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अवधारणा निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(संयोजक)

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. व्यालियर
 (0751-2442868)

(2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि. व्यालियर।

(3) डॉ. ई.एस. महाजन, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, व्यालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अवापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछो सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अवृत्तांशों अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अवधि निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधायित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तरदायित निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

⁴⁴ समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई दौरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदाती होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण ग्रही करता है तो समिति स्वतः बिस्तर हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करेंगे। तत्परतात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जावेगा। परिवेषम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिला खात्रों को प्रवेश देवा अवैधिक है। निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता खाता में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रशाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की दस्तुविधित से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानवदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

३. ए. / मानव भाषाविद्यालय द्वा
रा
3
कुलसचिव

३८५

- प्रतीतालिपि :-**

 1. समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यगाही हेतु।
 2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आगह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
 3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुद्धा भवन, भोपाल
 4. कुलाधिसिवित, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
 5. कूलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


राकेश कुमार (संस्कृता)